

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर


पृष्ठांकन क्रमांक C/440 / जबलपुर दिनांक 09/02/2021

प्रतिलिपि:-

1. प्रिन्सिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.),
2. प्रिन्सिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.),
3. संचालक, म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश..... (समस्त),
5. रजिस्ट्रार प्रशा./न्या. 1 एवं 2/डी.ई./आई.एल./कम-पी.पी.एस./एकजाम एवं लेबर ज्यूडीशियरी/एम, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. ओ.एस.डी.(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. ओ.एस.डी. (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. मेम्बर सेक्रेटरी, एससीएमएस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
9. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट(एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. ज्वाईंट रजिस्ट्रार(एम).....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. डिप्टी कन्ट्रोलर एकाउन्ट्स, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
12. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम).....(समस्त), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
13. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम).....(समस्त), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
14. लायब्रेरियन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
15. सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
16. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(न्या.)/इंचार्ज.....(समस्त), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
17. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
18. प्रिन्सिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक)/सतर्कता/आई.एल.आर. एवं परीक्षा, महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
19. सहायक सम्पादक (आई.एल.आर.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
20. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका/अवकाश/बजट/पेंशन/लेखा/वेतनपत्रक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,

की ओर रजिस्ट्री संशोधन क्रमांक ए/44 जबलपुर, दिनांक 08.01.2021 जोकि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-4 (ग) दिनांक 22.01.2021 में प्रकाशित है की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- रजिस्ट्री संशोधन क्रमांक ए/44 जबलपुर, दिनांक 08.01.2021 जोकि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-4 (ग) दिनांक 22.01.2021 में प्रकाशित है की प्रतिलिपि


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
Pss

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जनवरी 2021—माघ 2, शक 1942

भाग ४

विषय-मूर्ची

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) पत्र मर्मति के परिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मन्थपदेश अन्तियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

No. A/44

Jabalpur, dated 8th January 2021

In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 229 of the Constitution of India, the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur, hereby, makes the following further amendment in the "High Court of Madhya Pradesh Services (Recruitment, General Conditions of Services, Conduct, Classification, Control and Appeal) Rules, 2017", namely:—

AMENDMENT

In the Schedule-1, in column No. 6 of Sr. No. 66, point no. (v) and the entries relating thereto, shall be deleted.

RAJENDRA KUMAR VANI, Registrar General.

No. A/46

जबलपुर, दिनांक 8 जनवरी 2021

भारत के संविधान की धारा 229 खण्ड (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश, एतद्द्वारा, "मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों नियम 1976" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 4 में, शब्द "पाँच वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" स्थापित किए जाएं.

राजेन्द्र कुमार वाणी, रजिस्ट्रार जनरल.